



४४

दिनांक 31.03.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य चिंता बकाया राशि 3,64,773/- (अक्षर तीन लाख चौंसठ हजार सात सौ विहत्तर रुपये मात्र) को दिनांक 01.10.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के कुल किये गये ऋण अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाते हीरा माली का मकान स्थित है। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को, बैंक के साथ हाथी, परिवेश में शूक गार्डर का मकान, उत्तर में लाला माली का मकान तथा दक्षिण में जिसका कुल क्षेत्रफल 330 वर्गगज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में आम रास्ता बगार की संख्या 37, बाकें ग्राम व ग्राम पंचायत जिन्गी तहसील मालपुरा जिला टोक में स्थित है। एवज में बंधक सम्पत्ति, गोपाल यादव के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/भूखण्ड, पहा गंगा या व अप्रार्थी/ऋणियों, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुरक्षा के 3,50,000/रुपये (अक्षर तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया कम्पनी से ऋण खाता संख्या FIPHLLONS00005024232 से दिनांक 07.10.2021 से बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण, Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Secuirisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

दिनांक 06.05.2026

आदेश

असैट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरस्ट एक्ट 2002

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटी इन्फोर्सेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल

- ऋणी/सहऋणी/जमानती
1. शिवराम यादव निवासी बगर की हाणी जिन्गी तहसील मालपुरा जिला टोक राज.
 2. मनीषा यादव निवासी बगर की हाणी जिन्गी तहसील मालपुरा जिला टोक राज.
 3. गोपाल यादव निवासी बगर की हाणी जिन्गी तहसील मालपुरा जिला टोक राज.
 4. कोशल्या देवी निवासी बगर की हाणी जिन्गी तहसील मालपुरा जिला टोक राज.

बनाम

बैंगल एस्टेट, मुंबई - 400038

सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मंजिल, बकफील्ड हाउस, स्मार्ट रोड,

प्रकारण संख्या

प्रविष्टि दिनांक

30.03.2026

38/2026

(पीलासीन अधिकारी टीना जॉली, आई.ए.एस.)



लिला मजिस्ट्रेट
दफ्त

Handwritten signature

in his opinion, be necessary.

- (1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,
- (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.
- (a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

District Magistrate shall, on such request being made to him-

thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the documents relating thereto may be situated of found- to take possession the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the

creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

स्पष्ट प्राधान्य है, जो इस प्रकार है.

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत किया जाने व तालिम के परचाल धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः शर्षी दिनांक 04.10.2016 के अनुसार शर्षी की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी 6256/2016 फंक्शनर्यार व अन्य वनाम लिला मजिस्ट्रेट उद्देश्य व अन्य, में पारित निर्णय न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या

करने के परचाल भी मान की गई शर्षी का अपग्राहनीय धारा भुगतान नहीं किया गया।

प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी प्रार्थी एवं प्रसृत दरवाजे का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि

गया है।

बैंक / कम्पनी को जारीये पुलिस इमदाद संभालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रसृत किया तहत उपरोक्त खाली में देय शर्षी क पुनर्भुगतान हेतु रहन शर्षी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के सम्पलाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of गई है। शर्षी द्वारा बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं है। प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद शर्षी द्वारा शर्षी मय ब्याज चुकाने से बैंक की अन्तर्गत दिनांक 27.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये जाने तथा समाचार पत्र निकलते है। उक्त शर्षी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के



कांठ
कांठ
(टीका डाली)
[Signature]

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वकन किया जायेगा।

अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों व यात्रा व्यय आदि का अनुमान नियमों में देय है जो मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाइ जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, कांठ को पर्याप्त पुलिस जांचा सहित न्यायालय का स्थान आदेश न हो। वकन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकन पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वकन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की फाईनेलियल एसेट्स एण्ड एनकाउंटेड ऑफ सिक्यूरिटीडेन्ट्स एक्ट 2002 की धारा 31 के अधीन वकन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरिटीडेन्टेशन एण्ड शीकन्सर्टिकेशन ऑफ निर्णय प्रति तहसीलदार मालपुरा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के

उत्तरदायित्व अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।

है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्राधान की पालना नहीं की गई है तो सम्पत्ति 2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बाध्य पत्र एवं पेशा दरखास्तों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1.वकन श्रद्धा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकन यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता

को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पत्र के आधार पर पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वकन श्रद्धा सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी के कथन पर विवेकास कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य नियमों के अनुसार सम्पत्ति का वकन पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थानन प्राधिकृत अधिकारी ने प्राधान पत्र के साथ इस आदेश का बाध्य पत्र पेश किया कि